

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1805 / 17-5

दिनांक, देहरादून, 12 मार्च, 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता ।

विषय: जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 7.300किमी) हेतु 3.15 हे० वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम), 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

संदर्भ: FP/UK/ ROAD/ 8763/2014

इस कार्यालय का पत्रांक 1625 / 12-1 (1) दिनांक 12-02-2015 तथा आपका पत्रांक 2370 / 12-1 दिनांक 16-2-2015

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके द्वारा इस कार्यालय द्वारा इंगित कमियों तथा भारत सरकार की निर्धारित चैक लिस्ट के अनुरूप प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र में इंगित कमियों का निराकरण करते हुए ऑन लाईन सूचना अपलोड करते हुए उक्त प्रकार की गई कार्यवाही की हार्ड कापी उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी, किन्तु आपके स्तर से ऐसा नहीं किया गया। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभाग स्तर से प्रस्ताव का परीक्षण भारत सरकार के स्तर से निर्धारित चैक लिस्ट के अनुरूप गहनता नहीं किया गया है। प्रस्ताव में पायी गई प्रथम दृष्टया कमियों का बिन्दुवार उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है।

1- ऑन लाईन भेजे गये प्रस्ताव में विषयाकित मोटर मार्ग का संगत शासनादेश संलग्न नहीं है। वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश ऑन लाईन के (पीडीएफ फायल) में अपलोड करवाया जाय।

2- प्रस्ताव में लगाई गई विषय सूची ब्लैक के अनुसार वांछित दस्तावेज कमवार यथास्थान नहीं लगाये गये हैं तथा उपलब्ध कराई गई ऑन लाईन साफ्ट प्रति में कमवार पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है।

3- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग-2 प्रपत्र में निर्धारित कॉलमों के अनुरूप परिपूर्ण सूचना नहीं दी गयी है तथा कॉलमों में हॉ अथवा नहीं का उल्लेख किया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर स्थान व दिनांक भी अंकित नहीं किया गया है, जबकि तिथि का अंकित किया जाना वांछित है।

4- प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा अंग्रेजी में स्थलीय निरीक्षण से संबंधित निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण की तिथि तथा प्रस्ताव में वांछित वन भूमि स्वीकृति हेतु अभिमत नहीं दिया गया है। मात्र पदनाम समूह हस्ताक्षर किये गये हैं।

आप प्रस्तावक विभाग के स्तर से ऑन लाईन किये गये प्रस्ताव की साफ्ट कापी उनके कार्यालय से प्राप्त करते हुए तदनुसार निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार पीडीएफ फॉयल में वांछित दस्तावेज अपलोड करवायें तथा प्रभागीय वनाधिकारी, के स्तर से वांछित अभिलेख भी पीडीएफ फायल में अपलोड करें तथा उक्त की अनुपालन सूचना हार्ड कापी के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उच्च स्तर को अधूरा व अस्पष्ट प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित न करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

( आर० के०मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या 1805 (1) / 17-5 उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई० कालसी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सुस्पष्ट प्रस्ताव ऑन लाईन कर अनुपालन हेतु हार्ड प्रति भी उपलब्ध करायें।

वन संरक्षक

यमुना वृत्त